



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9, 1937

No. 185]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015/CHAITRA 9, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और सेवाशर्त) नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भर्ती और सेवाशर्त) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

(क) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "उपाध्यक्ष" से आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अध्याय 5 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अध्याय 14(क) के अधीन गठित सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग अभिप्रेत है।

3. भर्ती की पद्धति और भर्ती की अर्हताएं .-(1) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों से की जाएगी।

सारणी

क्रम सं.	पद का नाम	चयन क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अध्यक्ष	आयोग के ऐसे सेवारत सदस्यों में से जिनकी पद के लिए रिक्ति होने की तारीख को कम से कम छह मास की सेवा बाकी बच रही है।
2.	उपाध्यक्ष	प्रधान पीठ से भिन्न प्रत्येक पीठ के ज्येष्ठतम सदस्य को क्रमशः उस पीठ का उपाध्यक्ष माना जाएगा।
3.	सदस्य	सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के सेवारत मुख्य आयुक्तों या प्रधान मुख्य आयुक्तों या प्रधान आयुक्तों या समतुल्य रैंक के। टिप्पण : अधिकारी रिक्ति की तारीख को सेवा में होना चाहिये।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल सचिव, राजस्व के भारसाधक सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

4. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर मूल सेवा से निवर्तन.- (1) जब कोई सदस्य, आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में रहता है, उसे आयोग में पदग्रहण से पहले ऐसी सेवा से निवृत्ति लेनी होगी और आयोग में पद ग्रहण की तारीख को उसे सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रूप से सेवानिवृत्त होने पर, सदस्य-

(i) वह लागू सेवानिवृत्ति नियम के अनुसार पेंशन, उपदान और पेंशन लघुकरण का हकदार होगा ;

(ii) उसे अपने अर्जित अवकाश को अग्रणीत करने की अनुज्ञा नहीं होगी परंतु वह अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़, यदि कोई हो, अपने सेवानिवृत्ति के पहले लागू नियम के अनुसार प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(iii) आयोग में, यथास्थिति, सदस्य या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में अपने पद की सेवानिवृत्ति की समाप्ति पर, अपने नाम जमा अर्जित अवकाश की बाबत छुट्टी वेतन का इस शर्त के अधीन रहते हुए हकदार होगा कि इस उपनियम और पूर्व सेवा के अधीन भुनाए गए अधिकतम अवकाश, एक साथ ग्रहण करने पर, किसी भी दशा में तीन सौ दिन से अधिक न हो।

5. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पारिश्रमिक, भत्ते आदि—(1) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान वह होंगे जो निम्न रूप में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात् :—

अध्यक्ष	80,000/- रु. (नियत) प्रतिमास
उपाध्यक्ष	67,000-79000/- रु. (3 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि) प्रतिमास
सदस्य	67,000-79000/- रु. (3 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि) प्रतिमास

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते लेने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य श्रेणी के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

परंतु यह कि यदि कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है, तब ऐसे वेतन में पेंशन या पेंशन के समतुल्य उपदान या किसी अन्य सेवानिवृत्ति के फायदों की रकम की कमी कर दी जाएगी।

6. सामान्य भविष्य निधि का अभिदाय- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन किसी अन्य केंद्रीय सरकार के सेवक की रीति से सामान्य भविष्य निधि खाता में अभिदाय करने का हकदार होगा।

7. सेवाध्वत्ति- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पुनः नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।

परंतु यह कि आयोग का सेवारत उपाध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आयोग में उसकी कुल सेवा पांच वर्ष से अधिक न हो या उसकी आयु बासठ वर्ष से अधिक न हो, जो भी पूर्वतर हो :

परंतु यह और कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी नए कर्तव्य भार के लिए नियुक्त होने से पहले, यदि कोई हो, कम से कम दो वर्ष के लिए सेवा करेंगे।

टिप्पण : आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर सकेंगे परंतु आयोग में दो वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले किसी नए कर्तव्य भार को प्रतिग्रहीत नहीं कर सकेंगे।

8. अन्य सेवा शर्तें—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों की बाबत छुट्टी, यात्रा भत्ता, छुट्टी रियायत भत्ता, आवास, वाहन, चिकित्सा सुविधाओं और उन मामलों के लिए जिनका इस नियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसी समरूप होंगी जैसा कि केंद्रीय सरकार के अन्य सभूह 'क' अधिकारियों के समतुल्य श्रेणी में लागू हैं।

9. निर्वचन—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो केंद्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

10. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. क्यू.-22013/1/2014-एडी.आईसी(एएआर)]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed as Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Customs and Central Excise Settlement Commission namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Customs and Central Excise Settlement Commission (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions .**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) “Chairman” means the Chairman of the Commission;

(b) “Vice-Chairman” means a Vice-Chairman of the Commission;

(c) “Member” means a Member of the Commission; and

(d) “Commission” means the Customs and Central Excise Settlement Commission constituted under Chapter V of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Chapter XIV (A) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

3. **Qualifications for recruitment and method of recruitment .**—(1) The appointment to the posts of Chairman, Vice-Chairmen and Members specified in column (2) of the Table below shall be made from amongst the officers specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Name of the Post	Field of Selection
(1)	(2)	(3)
1.	Chairman	From amongst the serving Members of the Commission, having minimum remaining service of six months on the date of occurrence of the vacancy for the post of the Chairman.
2.	Vice-Chairman	Senior most Member of every Bench, other than the Principal Bench, shall be deemed to be the Vice-Chairman of the respective Bench.
3.	Member	Serving Chief Commissioners or Principal Chief Commissioners or Principal Commissioner of Customs and Central Excise or of equivalent rank. Note : The officer should be in service on the date of occurrence of the vacancy.

(2) Appointment of the Chairman, Vice-Chairmen and Members shall be made by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee comprising of the Cabinet Secretary, Secretary in charge of the Department of Revenue and Secretary Department of Personnel and Training .

4. **Retirement from parent service on appointment as Chairman or Vice-Chairman or Member.**—(1) Where, a Member, on the date of his appointment to the Commission, was in service under the Central Government, he shall seek retirement from such service before joining the Commission, and shall be deemed to have so retired on the date of his joining the Commission.

(2) On retirement as specified under sub-rule (1), the Member –

(i) shall be entitled to receive pension, gratuity and commutation of pension in accordance with the retirement rules applicable to him;

(ii) shall not be allowed to carry forward his earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement;

(iii) shall, on the expiry of the term of his office in the Commission, whether as Member or in continuation as Vice-Chairman or Chairman, as the case may be, be entitled to receive cash equivalent to leave salary in respect of the earned leave standing to his credit subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule and at the time of retirement from previous service, taking together, shall not in any case exceed three hundred days.

5. Remuneration, allowances etc. of the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Commission.—

(1) The pay scales of the Chairman, Vice-Chairman and Member shall be as specified below, namely :—

Chairman	-	Rs. 80,000/- (fixed) per mensem
Vice-Chairman	-	Rs. 67,000-79,000/- (annual increment @ 3%) per mensem
Member	-	Rs. 67,000-79,000/- (annual increment @ 3%) per mensem

(2) In addition to the salary as specified under sub-rule (1), the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Group 'A' Central Government Officer of equivalent grade.

Provided that if the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is in receipt of pension in respect of any previous service under the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of gratuity or any other form of retirement benefits.

6. Contribution of General Provident Fund.—The Chairman, Vice-Chairmen and Members shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in the same manner as any other Central Government Servants.

7. Tenure.—A person appointed as the Chairman or a Vice-Chairman or a Member shall hold office for a period of five years or till he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier, and shall not be entitled for reappointment.

Provided that a serving Vice-Chairman or a Member shall be eligible for appointment as Chairman or Vice-Chairman in the Commission, subject to the condition that his total service in the Commission shall not exceed five years or his age shall not exceed sixty-two years, whichever is earlier :

Provided further that the Chairman, Vice-Chairman or Members of the Commission shall serve the Commission at least for two years before they are appointed to any new assignment, if any.

Note : The Chairman, Vice-Chairmen or Members of the Commission may apply for any other post but they cannot accept any new assignment before the completion of two years of service in the Commission.

8. Other conditions of service.—The conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman and Members in respect of leave, travelling allowances, leave travel concession, accommodation, conveyance, medical facilities and matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as may be applicable to other Group 'A' officers of the Government of India of equivalent grade.

9. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

10. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. Q. 22013/1/2014-Ad.IC (AAR)]

UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.